

जिला



सत्यमेव जयते

गजट

झारखण्ड सरकार  
द्वारा प्रकाशित

पाक्षिक संख्या : 41

रामगढ़ दिन : शनिवार  
दिनांक 22.08.2015

समाहर्ता द्वारा निकाले गये भू-अर्जन संबंधी

प्रारम्भिक अधिसूचना

विषय सूची  
प्रारम्भिक अधिसूचना

पृष्ठ संख्या 01 से 03

**प्रपत्र VI 'क'**  
**झारखण्ड सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**  
**(भू-अर्जन निदेशालय)**

या  
**समाहर्ता या समुचित सरकार**  
**प्रारंभिक अधिसूचना**

**(अधिनियम-30/2013 की धारा-11 (1) के अधीन)**

संख्या- 575/भू0अ0,

रामगढ़, दिनांक 21.08.2015

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम कोडी, थाना पतरातू, थाना सं0 61, अंचल पतरातू, जिला रामगढ़ में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना कोडरमा-राँची न्यू बी0जी0 रेलवे लाईन निर्माण हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2 (1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम कोडी, थाना पतरातू, थाना सं0 61, अंचल पतरातू, जिला रामगढ़ में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 13.10 एकड़ यानि 5.3036 हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है।

क्रम सं०	खाता सं०	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	5	248 अंश	रैयती	कृषि	0.92	चमना बेदिया पिता बुधवा बेदिया	249	247	243	257
2	7	262 अंश	रैयती	कृषि	0.01	जगरनाथ करमाली पिता जीवन करमाली वो परेम करमाली पिता नादो करमाली	264	261	263	265
3	7	256 पूर्ण	रैयती	कृषि	0.50	जगरनाथ करमाली पिता जीवन करमाली वो परेम करमाली पिता नादो करमाली	255	257	252	263
4	9	252 अंश	रैयती	कृषि	0.19	भीखू राम बेदिया	253	251	254	252
5	9	920 अंश	रैयती	कृषि	0.40	भीखू राम बेदिया	918	936	919	937
6	13	255 अंश	रैयती	कृषि	0.24	तेरो बेदिया वो सबुरा बेदिया पेसरान बुधु बेदिया	254	256	264	263
7	13	247 अंश	रैयती	कृषि	0.18	तेरो बेदिया वो सबुरा बेदिया पेसरान बुधु बेदिया	248	246	248	246
8	13	919 अंश	रैयती	कृषि	0.19	तेरो बेदिया वो सबुरा बेदिया पेसरान बुधु बेदिया	918	920	918	933

9	14	926 अंश	रैयती	कृषि	0.30	डबकु मुण्डा वो चामु मुण्डा वो लेदोवा मुण्डा वो गनसा मुण्डा पेसरान गुजर मुण्डा	924	930	925	921
10	14	928 पूर्ण	रैयती	कृषि	0.17	डबकु मुण्डा वो चामु मुण्डा वो लेदोवा मुण्डा वो गनसा मुण्डा पेसरान गुजर मुण्डा	927	930	926	929
11	14	929 पूर्ण	रैयती	कृषि	0.02	डबकु मुण्डा वो चामु मुण्डा वो लेदोवा मुण्डा वो गनसा मुण्डा पेसरान गुजर मुण्डा	928	921	930	921
12	14	931 अंश	रैयती	कृषि	0.94	डबकु मुण्डा वो चामु मुण्डा वो लेदोवा मुण्डा वो गनसा मुण्डा पेसरान गुजर मुण्डा	921	932	922	935
13	14	936 अंश	रैयती	कृषि	0.74	डबकु मुण्डा वो चामु मुण्डा वो लेदोवा मुण्डा वो गनसा मुण्डा पेसरान गुजर मुण्डा	936	937	935	920
14	23	933 अंश	रैयती	कृषि	0.08	बोधिया बेदिया	932	935	933	934
15	24	251 अंश	रैयती	कृषि	0.53	भीखना महली पिता मनबोध महली	242	249	250	252
16	30	243 अंश	रैयती	कृषि	2.25	रामदास बेदिया पिता शिवलाल बेदिया	242	912	921	248
17	33	930 पूर्ण	रैयती	कृषि	0.55	साधना बेदिया	926	921	927	929
18	33	934 अंश	रैयती	कृषि	0.14	साधना बेदिया	935	936	933	937
19	33	935 अंश	रैयती	कृषि	0.33	साधना बेदिया	936	934	934	937
20	33	244 अंश	रैयती	कृषि	0.05	साधना बेदिया	243	245	243	245
21	33	250 अंश	रैयती	कृषि	0.64	साधना बेदिया	242	243	242	251
22	33	241 अंश	रैयती	कृषि	0.85	साधना बेदिया	240	242	242	242
23	37	925 अंश	रैयती	कृषि	0.74	बड़का सोमरा मुण्डा पिता हीरो मुण्डा	925	921	926	921
24	17	257 अंश	रैयती	कृषि	0.90	दुखना मुण्डा पिता सोमरा मुण्डा	249	259	248	261
25	33	914 अंश	रैयती	कृषि	0.24	साधना बेदिया	913	915	921	912
26	33	918 अंश	रैयती	कृषि	1.00	साधना बेदिया	921	916	919	915
<b>कुल रकवा</b>					<b>13.10</b>					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, रामगढ़ के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/ समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, रामगढ़ और संबंधित राजस्व कर्मचारी पतरातू अंचल को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, रामगढ़ के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

ह0/-  
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,  
रामगढ़।

ह0/-  
अपर समाहर्ता,  
रामगढ़।

ह0/-  
उपायुक्त,  
रामगढ़।